महत्वपूर्ण एवं खास

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दी हरेली पर्व की बधाई

रायपुर(आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने हरेली पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में सुश्री उईके ने कहा कि हरेली त्योहार का छत्तीसगढ़ में विशेष महत्व है। इस पर्व पर किसान अपने कृषि से जुड़े हल, कुदाली आदि की पूजा करते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं। अपने बधाई संदेश में उन्होंने लिखा है-छत्तीसगढ़ महतारी के अचरा छईयां हरियर रंग वाले हरियर भुईंया म खेती-किसानी-गेड़ी के तिहार नीम के डारा अउ पूजे सब औजार, चीला-फरा, मालपुआ के भोग लगाओ खुशहाली गीत के गावत हरेली मनाबो, जम्मो परदेशवासी मन ल हरेली तिहार के गाड़ा-गाड़ा बधाई।

किसानों का लोकपर्व हरेली आज

रायपुर। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सोमवती अमावस्या के अवसर पर छत्तीसगढ़ का लोकपर्व हरेली राज्य में किसानों द्वारा सुबह से ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि 47साल बाद सोमवती अमावस्या का संयोग इस बार सोमवार को हुआ है। किसानों का पर्व हरेली से खेती बाड़ी की शुरूआत में उपयोग आने वाले उपकरणों यथा हल बैल गैती, रांपा, फावड़ा, नागर सहित लोहे के उपकरणों की पूजापाठ के साथ ही किसानों ने आज अपने दिन की शुरूआत की। इसके साथ ही ग्रामीण बच्चों ने बांस की गेड़ी चढ़कर अपना शौक पूरा किया। महिलाओं ने घर में गुलगुला, चीला, फरा, चौसेला आदि का निर्माण कर त्योहार का मजा लिया। इस वर्ष विश्व व्यापी कोरोना वायरस महामारी के चलते परंपरानुसार बैल दौड़ का आयोजन रद्द कर दिया गया है। रायपुर में होने वाला मुख्य आयोजन रावणभांठा में होता था किंतु संयोजक माधवलाल यादव द्वारा सोशल मीडिया पर परंपरा टूटने पर दुख व्यक्त करते हुए बैल दौड़ का आयोजन रद्द होने की जानकारी दी गई है।

बाईकसे गिर कर मौत

कोरबा। जटगा पुलिस चौकी के अंतर्गत सिरकी गांव में विजय यादव नामक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में पंचनामा करने के साथ मर्ग कायम किया है। बताया गया कि विजय जटगा का निवासी था। वह किसी काम से सिरकी गया हुआ था। बाईक पर चलने के दौरान एकाएक दुपहिया अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। इस घटना में चालक की मौत हो गई।

जुआ खेलते 6 जुआरी गिरफ्तार,नगदी रुपये एवं ताश की 52 पत्ती जब्त

रायपुर। जुआ खेलते पाये जाने पुलिस ने 6 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से नगदी रुपये व ताश की 52 पत्ती जब्त किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गोबरानावापारा क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने महानदी घाट पुल के पास नवापारा में जुआ खेलने की सूचना पर टीकाराम निषाद 35 वर्ष सहित अन्य 5 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2हजार 1 सौ 41 रुपये व ताश की 52 पत्ती जब्त किया है। सभी जुआरियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 13 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है।

नाबालिक से अनाचार का फरार आरोपी गिरफ्तार

कोण्डागांव। जिले के थाना-बड़ेडोंगर में प्रार्थिया नाबालिक पीड़िता थाना-बड़ेडोंगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ ग्राम गोड़मा प्लाटपारा निवासी आरोपी मंगडूराम सलाम 07 जुलाई को रात्रि करीब 10:00 बजे पीड़िता के घर आया और अनाचार किया। मामले के आरोपी मंगडू राम सलाम पिता किदिर राम जाति गोंड उम्र 28 वर्ष ग्राम गोड़मा प्लाटपारा को मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट पर थाना बड़ेडोंगर पुलिस टीम द्वारा आज गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

लॉकडाउन में कालाबाजारी करने वालों पर रहेगी नजर

रायपुर। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए राजधानी रायपुर में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। इस बीच जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि में दैनिक उपयोग की सामग्री व अन्य सामग्रियों व वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन सूत्रों ने बताया कि कालाबाजारी रोकने तथा लॉकडाउन की अवधि में आम नागरिकों को सभी वस्तुएं सही कीमत में मिल सके, इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। अधिकारियों की टीम व कर्मचारी लगातार इस बात की मॉनीटरिंग करते रहेंगे कि जिले में कहीं भी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री तय कीमत से अधिक पर न हो सके।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र किया अध्यादेश 2020 वापस लेने का अनुरोध

जारी अध्यादेश कृषक हित में नहीं, रोजगार के अवसरों को कम करने वाला तथा संघीय ढांचे की मान्य परंपरा के विपरीत

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे भारत सरकार द्वारा जारी कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 को वापस लेने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार द्वारा 5 जून को जारी यह अध्यादेश कृषकों के हित में नहीं है, रोजगार के अवसरों को कम करने वाला और संघीय ढांचे की मान्य परंपराओं के विपरीत है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि गतिविधियों में संलग्न है। राज्य में लगभग 85 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक है तथा राज्य के लगभग तीन चौथाई क्षेत्र पिछड़े एवं वन क्षेत्र हैं, जहां पर राज्य के लगभग 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोग निवासरत हैं।

उन्होंने लिखा है कि प्रदेश सरकार द्वारा उन्नत तकनीक, गुणवत्तायुक्त बीज तथा कृषकों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धान, मक्का, गन्ना तथा सोयाबीन के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, प्रदेश में मुख्य रूप से धान की फसल ली जाती है। कृषकों द्वारा उत्पादित धान का उपार्जन समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर द्वारा किया जाता है और प्रदेश से भारतीय खाद्य निगम को देश के लिए उसना चावल की आपूर्ति की जाती है, जिसके फलस्वरूप देश में लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकी है और देश कोविड-19 जैसी महामारी से विश्वास पूर्वक लड़ने में सक्षम हो सका है।

बघेल ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार द्वारा 05 जून 2020 को जारी कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 द्वारा कृषक एवं व्यापारी को कृषक उत्पाद के क्रय-विक्रय करने की स्वतंत्रता देते हुए मंडी प्रांगण-उपमंडी प्रांगण के बाहर विक्रय अधिसूचित कृषि उपज के क्रय-विक्रय पर मंडी शुल्क से छूट एवं बगैर लाइसेंस के स्थायी खाता संख्या (ब्रह्म) कार्डधारी व्यापारी को कृषि उपज के क्रय-विक्रय करने की अनुमति दी गई है। वैविध्यपूर्ण हमारे देश के भिन्न-भिन्न भू-भागों पर भिन्न-भिन्न किस्म की कृषि उपज उत्पादित की जाती है और जिनके विपणन की रीतियों कृषकों के तत्स्थानी स्वभाव एवं स्थितियों से प्रभावित होती है और यही कारण है कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची 2 की प्रविष्टि 14, 26, 28 एवं 66 के अनुसार अपने प्रदेश की कृषि उपजों एवं स्थानीय विपणन रीति को दृष्टिगत रखते हुए मंडी अधिनियम बनाकर कृषि उपजों के विपणन को इस प्रकार विनियमित किया गया है कि बाजार की कुरीतियों को समाप्त कर असंगठित कृषकों का हित संरक्षित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि कृषक संसार का वह अनोखा उत्पादक है जो कि अपने उत्पादन का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता है अपितु कृषक के उत्पादन का मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित होता है।

कोरोना नियंत्रण के लिए शासकीय कार्यालयों के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

रायपुर (आरएनएस)। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रतिबंधात्मक आदेश के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय कार्यालयों के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को नियंत्रित करने जिला स्तर पर प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत जिला कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश के माध्यम से कड़ाई की जा सकती है। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रभावित क्षेत्र में स्थित शासकीय कार्यालयों के संचालन में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी। इसके लिए रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगायी जाए। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी पूर्वानुसार कार्य करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्देश केवल प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रभावित क्षेत्र की सीमा में स्थित शासकीय कार्यालयों और विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग और अन्य प्रशासकीय इकाईयों पर लागू होगा तथा केवल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक ही प्रभावी रहेगा। इसी प्रकार इन क्षेत्रों में स्थित शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुकों का प्रवेश नहीं होगा। सभी शासकीय कार्यालयों में फेस मास्क के उपयोग और सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। सभी शासकीय कार्यालयों में सेनेटाईजेशन एवं नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार की जाए। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समस्त विभागों के सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री बघेल ने वन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका 'हरियर भुईयाँ' का किया विमोचन

रायपुर(आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास में हरेली तिहार के अवसर पर वन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका 'हरियर भुईयाँ' गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का विमोचन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती मुक्तेश्वरी बघेल, पुत्री श्रीमती स्मिता बघेल, दामाद दिवाकर वर्मा, नाती अथर्व वर्मा एवँ परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। वन विभाग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका हरियर भुईयाँ में वन विभाग की गतिविधियों से संबंधित लेखों को समाहित किया गया है। इस पत्रिका में राज्य के वन अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा लिखे गए लेखों का संकलन रहेगा। यह पत्रिका त्रैमासिक प्रकाशित होगी। राज्य निर्माण के बाद यह पहला अवसर है कि वन विभाग इस प्रकार की पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। यह पत्रिका निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।

जंगल में जुआ खेल रहे 22 जुआरी गिरफ्तार

धमतरी(आरएनएस)। धमतरी जिले के धाना मगरलोड स्थित ग्राम राठार धरसा जंगल में बड़ी संख्या में जुआरियों के द्वारा जजुआ खेलने की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी करके 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। सभी जुआरियों के पास से 1 लाख 85 हजार 2 सौ रुपये नगद,4 बंडल ताश की 52 पत्ती व 21 मोबाईल फोन सहित 6 कार एवं 18 बाईक जब्त किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर 18 जुलाई की शाम 5 बजकर 20 मिनट पर धमतरी जिले स्थित करेलीबड़ी धमतरी ग्राम राठार धरसा जंगल में जुआ खेलते टीकम चंद निषाद ,पिता उदेराम निषाद ग्राम गाडाडीह धमतरी,देवशरण यादव पिता झलक राम यादव,गुडरु पारा शिव चौंक महासमुंद,टुकेश्वर साहू पिता भुवन लाल साहू ग्राम कपालफोडी धमतरी ,पारसमणी साहू पिता दया राम साहू,ग्राम नवागांव पर कार्रवाई की गई है।

डॉक्टर और मेडिकल टीम के सम्मान में मंत्री डॉ. डहरिया किया वृक्षारोपण

रायपुर (आरएनएस)। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया एवं राजश्री सद्भावना समिति की अध्यक्ष श्रीमती शकुन डहरिया ने आज कोरोना वारियर्स डॉक्टर्स के सम्मान में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के महाप्रबंधक तकनीकी श्री एस.के. सुंदरानी और जोन क्रमांक-10 के जोन कमिश्नर श्री अरुण साहू, जोन क्रमांक-6 के जोन कमिश्नर श्री दिनेश कोसरिया, डेडिकेटेड कोविड-19 सेंटर लालपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रशांत साहू, सहायक अभियंता श्री फत्तेलाल साहू, उप अभियंता श्री योगेंद्र साहू भी साथ थे। लालपुर स्थिति डेडिकेटेड कोविड-19 हेल्थ सेंटर के कैम्पस में वृहद वृक्षारोपण करते हुए 200 वृक्ष लगाए गए। पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर शहर भर में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पौधरोपण व वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और राजश्री सद्भावना समिति के संयुक्त तत्वावधान में यहां पर बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण के लिए मैत्री महिला समिति एनटीपीसी कोरबा की पहल

कोरबा। मैत्री महिला समिति एनटीपीसी कोरबा एवं पर्यावरण प्रबंधन विभाग के सहयोग से नगर परिशर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए प्लास्टिक कचरा संग्रहण का मुहिम सुरू किया गया है। इस मुहिम के अंतर्गत महिला समिति के सभी सदश्याओं ने अधक्षाए श्रीमति उमा त्रिपाठी के नेतृत्व में पूरे टाउनशिप मे 4 महीनो से कचरा एकत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान 1000 से ज्यादा बोरी प्लास्टिक कचरा संग्रह किया गया है। इस एकत्रित कचरों को पर्यावरण अनुकूल पद्धती से निपटान करने के लिए सीमेंट उद्योग को भेज दिया जाएगाए जहां इसका सही निपटान किया जाएगा। मैत्री महिला समिति के हाथों अन्य पदाधिकारिओं के उपस्थिती में राशन पैकेट वितरण किया गया।

दुकान वाले से मांगा शराब पीने के लिये रुपये ,नही देने पिटाई

तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

रायपुर(आरएनएस)। चाय गुमटी वाले को तीन युवकों ने दबंगई दिखाकर सिगरेट-गुटखा लिया व शराब पीने के लिये पैसा मांगा नही देने पर मारपीट कर चोट पहुंचाया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवरियर इस्पात कंपनी रावाभांठा निवासी राकेश महतो 28 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि रविवार को करीब 1 बजे के आस-पास खमतराई शिव रियर कंपनी में काम करने वाले शत्रुघन व मनीष एवं भुरु नामक तीन युवकों ने प्रार्थी के चाय गुमटी में आकर सिगरेट,गुटखा लिया व शराब पीने के लिये पैसा मांगा नही देने पर युवक के साथ गाली-गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देकर पत्थर से मारकर चोट पहुंचाया।

तीनों आरोपियों की डर से युवक दुकान छोड़कर भागने लगा उसके बाद कुछ दुर तक दौड़ाने के बाद आरोपी फरार हो गये। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323,506,327,34 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

10 से ज्यादा नक्सलियों के एक साथ आत्मसमर्पण पर मिलेगा ट्रैक्टर

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिला प्रशासन द्वारा नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक नई पहल के तहत जय लय्योर जय कम्माई योजना शुरू किया गया है। नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिस भी गांव से 10 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें गांव मे रहकर खेती करने के लिए ट्रैक्टर सहित कृषि

उपकरण स्व सहायता समूह बनाकर उपलब्ध कराया जा रहा है।

जय लय्योर जय कम्माई योजना जिसका हिंदी अर्थ, नवजवान अब खेती करेंगे। इसी योजना के तहत आज प्रशासन द्वारा बड़े गुडरा के आत्मसर्पित नक्सलियों को ट्रैक्टर दिया गया। आत्मसर्पित नक्सलियों का स्व सहायता समूह बनाया गया और उन्हें ट्रैक्टर सहित कृषि उपकरण प्रदाय किया गया है। जय लय्योर जय कम्माई योजना अभियान का कितना प्रभाव नक्सलियों के आत्मसमर्पण में देखने के लिए मिलता है और नक्सलियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, यह समय के गर्भ में है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनतमपूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा समर्थक हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुश सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ताकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक उन्नयन अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक साक्षरता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित नियमित कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU